B.M.A. College, Baheri, Darbhanga

B.A.(Hons) - III
Paper, -
Deptt of Sociology

Date: - 28/10/2020
By: Dr. Rajesh Kr.
Sociology

विषय:- कुल या वंश परम्परा

एक ऐसे रक्तमूलक एकपक्षीय वंश समूह को कुल कहते हैं जिसके सदस्य किसी ज्ञात पूर्वज या पूर्वजा से एक के आधार पर जुड़े होते हैं। यह पूर्वज या पूर्वजा मिथकीय अथवा पौराणिक न होकर पाँच या छः पीढ़ी पहले एक व्यक्ति कोई वास्तविक व्यक्ति होता है। इन पूर्वजों से जुड़ी कड़ियाँ सदस्यों को ज्ञात होती है,

जो स्वजन वंशानुक्रम में प्रत्यक्षतः एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उन्हें समरेखीय या एक रेखीय स्वजन कहते हैं। समरेखीय स्वजन एक व्यक्ति के प्रत्यक्ष पूर्वज तथा प्रत्यक्ष वंशज होते हैं, जैसे- व्यक्ति के माता-पिता, दादा-दादी, परदादा-परदादी तथा उसकी सन्ताने या पोता-पोतियाँ आदि।

जो स्वजन मुख्य रूप से एक प्रजाति के रूप में अलग हो जाते हैं जैसे चाचा और चाचे-भाई-भतीजे आदि समानांतर स्वजन कहलाते हैं।

जबकि रक्त एवं विवाह संबंधों द्वारा आबद्ध व्यक्तियों का नातेदार या स्वजन कहते हैं। अधिकतर नातेदार परिवार से अलग एक मूलक होते हैं।

B.M.A. College, Baheri, Darbhanga

B.A. (Hons), - III

Paper - V

Deptt. of Sociology

Date:- 28/10/2020

By: Dr Rajesh Kr.

Sociology

विषय:- वंशानुक्रम की अवधारणा

वंशानुक्रम शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों के बीच पाये जाने वाले मान्य सामाजिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है।

वंशानुक्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का सम्बन्धी उत्तराधिकार रेखा में जुड़ना प्रदर्शित करता है। वंशानुक्रम में एक आदिस्थ पूर्वज से वर्तमान वंशज तक पीढ़ीगत सम्बन्धों की गणना की जाती है। इसका आधार वास्तविक जैविक सम्बन्ध या कभी-कभी काल्पनिक जैविक सम्बन्ध भी हो सकता है जैसा कि हम गोद लेने की प्रथा में देखते हैं। वंशानुक्रम के कई रूप प्रचलित हैं- जैसे- एकपक्षीय, उभयपक्षीय, द्विपक्षीय, संदिग्धपक्षीय वंशानुक्रम।

जब पुरुष से उसकी पुत्रियों एवं महिला से उसके पुत्रों को वंशक्रम की सदस्यता मिलती है तब इसे वैकल्पिक या वक्र वंशानुक्रम कहते हैं। यह वंशक्रम व्यवस्था बहुत कम पाई जाती है।

एकपक्षीय वंशक्रम का ऐसा रूप जिसमें स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी एक पूर्वज के आधार पर वंश निर्धारण की छूट दी जाती है।

B.M.A. College, Baheri; Darbhanga
B.A (Hons), III
Date:- 28/10/2020
Paper -
By: Dr. Rajeshkr
Sociology
Dept. of Sociology

विषय:- गोत्र की अवधारणा

अंग्रेजी के 'clan' शब्द के लिये हिन्दी भाषा में गोत्र शब्द का प्रयोग कई वंशजों के लिये ऐसे व्यापक समूह के लिये किया जाता है जिसके सदस्य अपने को किसी उभय वास्तविक अथवा मिथकीय या कल्पित पूर्वज की संतान मानते हैं यह पूर्वज किसी पुरावृत्त पर आधारित मानव, पशु, पौधा अथवा कोई निर्जीव पदार्थ भी हो सकता है। बहिर्विवाही नियम पर आधारित होने के कारण एक गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह-सम्बन्ध वर्जित होते हैं। यह रक्त-मूलक एक-पक्षीय (पितृपक्षीय या मातृपक्षीय) समूह होता है, किन्तु इसके सदस्य संयुक्त आवास नहीं होते। अंग्रेजी-भाषा-भाषी कुछ लोगों ने गोत्र की व्याख्या को व्यक्त करने के लिये 'क्लॅन' शब्द के स्थान पर 'सिब' शब्द का प्रयोग किया है। गोत्र की सदस्यता जन्मजात होती है, किन्तु गोत्र के सदस्य अपने मूल पूर्वज से वंशानुक्रमिक सम्बन्ध स्थापित करने में असमर्थ होते हैं। एक गोत्र समूहों कई वंश समूह में बंटा होता है जो एक साझा पूर्वज की कई वंश शाखाएं होती हैं।

B.M.A. College, Baheri: Darbhanga

Date:- 28/04/2020

B.A. (Hons) - III
Paper - V
Depar. of Sociology

By: Dr. Rajesh Kr.
Sociology

विषय:- पितृसत्ता, एवं श्रम विभाजन

'पितृतंत्र' का तात्पर्य

शाब्दिक रूप में 'पितृतंत्र' का प्रयोग को पिता के शासन है। इस पद का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। प्रथम, स्त्रियों पर पुरुषों की सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। द्वितीय, घर-परिवार के ऐसे संरचनात्मक स्वरूप के लिए किया जाता है जिसमें सबसे वरिष्ठ पुरुष की-(घर का मुखिया) परिवार के सभी सदस्यों (वरिष्ठ पुरुषों सहित) पर सत्ता होती है। जिसका तात्पर्य ऐसे सत्ता से है जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है एवं वंश का नामकरण भी पुरुषों के नाम पर होता है एवं परिवार के रीति रिवाजों एवं परम्परा पर पुरुषों की प्राथमिकता होती है।

जबकि परिवार के भी कार्यों, भूमिकाओं तथा दायित्वों का विभाजन घरेलू श्रम-विभाजन को प्रतिबिम्बित करता है। स्त्रियों द्वारा घर में किए जा अवैतनिक कार्यों को घरेलू श्रम की श्रेणी में रखा जाता है जबकि पुरुषों के द्वारा किए गए बाहर के कार्यों को वैतनिक श्रेणी में रखा जाता है। यह समाज द्वारा स्थापित सबसे बड़ी असमानता है। पुरुषों के कार्यों की प्रशंसा होती है एवं इन्हें कार्य पुरस्कार स्वरूप उपहार, इनाम, वेतन, इत्यादि दिया जाता है लेकिन स्त्रियों द्वारा किए गए कार्यों को समाज किसी श्रेणी में नहीं रखता जबकि स्त्रियाँ घर के अंदर 24 घंटों काम करती रहती हैं।

B.M.A. College, Baheri, Darbhanga.

Date:- 29/10/2020

B.A (Hons) - III

Paper - V

Dept. of Sociology

By: Dr. Rajesh Kr.

Sociology

विषय :- हिन्दू विवाह एवं इसके उद्देश्य

कुछ धार्मिक संस्कारों के द्वारा समाज में मान्यता प्राप्त स्त्री-पुरुष का विधिवत मिलन ही हिन्दू विवाह है, जिसका उद्देश्य धर्म-कर्म पुत्र-प्राप्ति और रति के प्रयोजन को पूरा करना है। उपरोक्त परिभाषा यह परिभाषित करता है कि हिन्दू-विवाह एक धार्मिक संस्कार है, वैधानिक या सामाजिक समझौता नहीं। यह कि हिन्दू विवाह धार्मिक संस्कार इसलिए है कि कुछ धार्मिक कृत्य, जैसे की पूर्णतया के लिए कुछ धार्मिक कृत्य, जैसे-होम, पाणिग्रहण और सप्तपदी आदि आवश्यक हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि हिन्दू विवाह में धर्म का स्थान पहले रखा गया है और रति का स्थान सबसे अन्त में। अर्थात् हिन्दू विवाह में यौन-तृप्ति का प्रयोजन विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। हिन्दुओं में एक विवाह को ही आदर्श विवाह के रूप में माना गया है। यद्यपि बहुपत्नी-विवाह की आज्ञा भी कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रदान की गई क्योंकि परंपरा के अनुसार एक स्त्री का वैवाहिक सम्बन्ध सिर्फ एक ही पुरुष से हो सकता है, भिन्न-भिन्न पुरुषों से नहीं।

B.M.A. College, Baheri; Darbhanga

B.A (Hons) - III

Paper - V

Deptt. of Sociology

Date: 29/10/2020

By Dr. Rajesh Kr. Pathak

विषय:- हिन्दू विवाह के परम्परागत स्वरूप

विभिन्न विद्वानों ने हिन्दू-विवाह के भेदों की अलग-अलग संख्याओं का उल्लेख किया है। सामान्य रूप से मनु द्वारा उल्लिखित निम्न विवाह के आठ प्रकारों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है:-

1. ब्रह्म विवाह - इस विवाह में कन्या के माता-पिता अपनी इच्छा से एक विद्वान और योग्य वर को अपनी कन्या के लिए चुनते हैं।
2. दैव विवाह - इस विवाह में कन्या के पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करते हैं और वस्त्र तथा अलंकार से सुसज्जित कन्या का दान उस व्यक्ति को किया जाता है जो इस यज्ञ को उचित ढंग से पूरा करता है।
3. आर्ष विवाह - इसमें कन्या के पिता अपनी कन्या का विवाह एक तपस्वि से करता है।
4. प्राजापत्य विवाह - इसमें वैवाहिक जीवन के संबंध में उपदेश देकर विधिवत वर की पूजा कर कन्या का दान ही प्राजापत्य विवाह है।
5. आसुर-विवाह - इसमें इच्छुक व्यक्ति को वधु मूल्य चुकाकर ही विवाह की सहमति होती है।
6. गान्धर्व विवाह - वर-एवं वधु के प्रेम के फलस्वरूप यह विवाह संपन्न होता है।
7. राक्षस विवाह - वर द्वारा कन्या से बलपूर्वक शादी करना ही राक्षस विवाह है।
8. पैशाच विवाह - इसमें सोयी हुई, शराब पी हुई एवं अचेत स्त्री के साथ धोखा देकर या जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित कर विवाह किया जाता है।

B.M.A. College, Baheri, Darbhanga

B.A. (Hons)-III
Paper - V
Deptt. of Sociology

Date:- 29/10/2020
By Dr. Rajesh Kr.
Sociology

विषय :- विवाह

पारम्परिक रूप से, विवाह होता था कि एक अधिकृत विषमलिंगियों के बीच समाजानुमोदित, औपचारिक तथा अपेक्षाकृत स्थायी लैंगिक सम्बन्धों की एक व्यवस्था एवं नियमाचारों का एक पुंज है जो पारम्परिक पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक पारस्परिक दायित्वों एवं अधिकारों द्वारा इन्हें एक सूत्र में बाँधता है। आजकल आधुनिक समाजों में विवाह के इस पारम्परिक दृष्टिकोण को आधुनिक युवकों द्वारा स्वीकार किए जाने में कठिनाई होने लगी है। वे अब अविवाहित रहते हुए भी 'विवाहित के रूप में साथ-साथ रहने' में विश्वास करने लगे हैं। पश्चिमी समाजों में अब धीरे-धीरे विवाह का रूप मात्र 'सुविधात्मक सम्बन्ध' अथवा समझौता मात्र समझौता पर आधारित सम्बन्ध बनते जा रहे हैं। सुविधात्मक सम्बन्ध समझने वाले जोड़ों में बहुत बेतहाशा वृद्धि होने लगी है। भारत के महानगरों में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखने लगी है। फिर भी एक सामान्य व्यक्ति के साथ-साथ रहने और भावी दिन उचित विवाह और शादी में अन्तर करता है। समाज की इस संस्था का रूप भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न रहा है।

B.M.A. College, Baheri; Darbhanga

B.A(Hons)-III

Date:-29/10/2020

Paper-

By: Dr. Rajesh Kr.

Sociology

Deptt. of Sociology

विषय:- दहेज प्रथा या वर-मूल्य प्रथा

वर-मूल्य प्रथा और दहेज का प्रायः एक ही समझा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पर विवाह के समय कन्या पक्ष की ओर से, कन्या व वर को कुछ वस्तुएं और धन उपहार में दिए जाते हैं दहेज में यह उपहार कन्या पक्ष द्वारा अपनी इच्छा से दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि- दहेज वह धन या उपहार है जिसे लड़की के माता-पिता विवाह के समय अपनी इच्छा से वर पक्ष को देते हैं।

जबकि इसके विपरीत, वर-मूल्य वह निश्चित धन या भेंट है जो कि विवाह के पूर्व वर-पक्ष निश्चित कर लेते हैं और जिसे विवाह के पूर्व या विवाह तक कन्या पक्ष को चुका देना होता है। इस प्रकार वर-मूल्य की एक शर्त है जिसे पूरा किए बिना विवाह नहीं हो सकता। व्यवहारिक रूप में यह वर का मूल्य है जो कि उसके माता-पिता अपने लड़के की योग्यता के अनुसार माँगते हैं और जो वर की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति से भी सम्बन्धित होता है। परन्तु प्रतिदिन की बोल-चाल में लोग वर-मूल्य न कहकर दहेज शब्द का ही प्रयोग ज्यादातर करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि- दहेज वह धन या उपहार है जिसे लड़की पक्ष के लोग स्नेहवश वर एवं कन्या को देते हैं जबकि वर-मूल्य एक निश्चित धन है जिसकी स्पष्ट माँग वर पक्ष की ओर से की जाती है।